

अध्यायी के विधान प्रचार के लिए सामग्री जैसे कि किताबें, पोस्टर, एडवर्टिस, बैनर, कटआउट, गेट एवं आर्च, फोटो एवं ऑडियो केसट्स, सी.डी./डी.वी.डी., लाउड स्पीकर, एम्प्लिफायर, डिजिटल टी.वी./बार्ड डिस्प्ले, 3 डी डिस्प्ले आदि पर होने वाले व्यय का विवरण (अर्थात: अनुसूची 1 एवं 2 में शामिल किए गए व्यय के अलावा)

क्र.सं.	व्यय का प्रकार	कुल धन जारी रुपये में	व्यय के प्रकार			रिमाइनिंग काई थी।
			अध्यायी/एजेंट के द्वारा जारी	राजकीय व्यय द्वारा जारी	अन्य के द्वारा जारी	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						

[Handwritten Signature]

अध्यायी के विधान प्रचार के लिए सामग्री जैसे कि किताबें, पोस्टर, एडवर्टिस, बैनर, कटआउट, गेट एवं आर्च, फोटो एवं ऑडियो केसट्स, सी.डी./डी.वी.डी., लाउड स्पीकर, एम्प्लिफायर, डिजिटल टी.वी./बार्ड डिस्प्ले, 3 डी डिस्प्ले आदि पर होने वाले व्यय का विवरण (अर्थात: अनुसूची 1 एवं 2 में शामिल किए गए व्यय के अलावा)

क्र.सं.	व्यय का प्रकार	कुल धन जारी रुपये में	व्यय के प्रकार			रिमाइनिंग काई थी।
			अध्यायी/एजेंट के द्वारा जारी	राजकीय व्यय द्वारा जारी	अन्य के द्वारा जारी	
2.		3.	4.	5.	6.	7.

[Handwritten Signature]

निर्वाचन प्रचार हेतु प्रयुक्त स्वयं की निधि का विवरण

क्र.सं.	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट/बैंक स. आदि	कुल धनराशि रुपये में	दिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	63.11.23	₹754	-	10,000	
2.	14.12.23	₹54	-	14,100	
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

[Handwritten Signature]

निर्वाचन प्रचार हेतु प्रयुक्त स्वयं की निधि का विवरण

क्र.सं.	दिनांक	नकदी	अदाकर्ता बैंक के विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट/बैंक स. आदि	कुल धनराशि रुपये में	दिप्पणी
1	2	3	4	5	6
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

[Handwritten Signature]

विद्यार्थन प्रथम हेतु प्रयुक्त स्वयं की निधि का विवरण					
क्र.सं.	दिनांक	नाम	अवकाश बैंक के विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट/बैंक स. आदि	कुल धरतीसि रकम में	दिमागी
1	2	3	4	5	6
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
कुल					

[Handwritten signature]

श्री (श्री) से नकद या बैंक या डिमांड ड्राफ्ट या खाता स्थानांतरण द्वारा प्राप्त एकमुश्त धन गति का विवरण						
क्र.सं.	राजनीतिक दलों के नाम	दिनांक	नकद	अवकाश बैंक के विवरण के साथ डिमांड ड्राफ्ट/बैंक स. आदि	कुल धरतीसि रकम में	दिमागी, दही कोई है
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

[Handwritten signature]

समाचार पर और टी.वी. बैनल में आपराधिक पुस्तकें, यदि कोई हो, के प्रकाशन पर उपात व्यय का विवरण

क्र.सं.	समाचार पर		उपात सम्भलत व्यय (रु. में)
	समाचार पर का नाम	प्रकाशन की तारीख	
1.	2	3	4
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

समाचार पर और टी.वी. बैनल में आपराधिक पुस्तकें, यदि कोई हो, के प्रकाशन पर उपात व्यय का विवरण

क्र.सं.	समाचार पर का नाम	दरतीरजन		उपात सम्भलत व्यय (रु. में)	मुजान का संकेत (इतिहास/क/टीवी/कवर) (रुपय लिखत है)
		अंतरेशन/दुरेशन प्रसारण की तारीख पर समय	6		
1.	5	6	7	8	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					

Signature

1. अनुसूची 5 में :-

- (क) आदेश की प्रती जिसमें सभी वाहनों की सूची निहित है, जिसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा परमिट जारी किए गए हैं, संलग्न की जानी है।
- (ख) यदि अभ्यर्थी/उसके रिश्तेदार/एजेंट का वाहन निर्वाहन कार्यों के प्रयोग में लाया जा रहा है, तो ऐसे सभी वाहनों को किंग्म पर लेने का काल्हित किया, केवल एक वाहन को छोड़कर जो अभ्यर्थी का है और उसके प्रयोग में लाया जा रहा है, ईमन का काल्हित किया और ऐसे वाहनों के वाहनक का लेन, उपरोक्त सारणी में ध्यय की कुल धन राशि में जोड़ा जाएगा।
- 2. सभी अनुसूचियों में वस्तुओं और सेवाओं पर ध्यय यदि किसी राजकीय दल द्वारा या किसी व्यक्ति/कम्पनी/फर्म/संघ/व्यक्ति निरकय आदि द्वारा अभ्यर्थी के पक्ष पर उपलब्ध कराया जाता है तो ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का काल्हित किया उसर हिर सम्बन्धित कॉलेमों में दर्शाया जाना चाहिए।
- 3. भगा -3 में राजकीय दल या अभ्यर्थी से प्राप्त निधि या अभ्यर्थी की रकम की कुल धन - राशि का निधि - वार उल्लेख किया जाना चाहिए ऐसे सभी मामलों में ऐसी धन राशि निर्वाहन ध्यय के लिए खोले गए अभ्यर्थी के बैंक खाते में पहले जमा करा देनी चाहिए।
- 4. सार रिक्ली का प्रत्येक पृष्ठ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए।

(आयोग द्वारा अपने पत्र सं. 76/व्युअल कैम्पन/ईईपीएस/2022, दिनांक 15 जनवरी, 2022 के जलिर संशोधित, अनुबंध-ध9 पर रखा हुआ है)

निर्वाहन सार्यों का सार विवरण

सार-1: निर्वाहन सार्यों का सार विवरण

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण
I
II
III
IV

Signature: [Handwritten Signature]
 Date: [Handwritten Date]

भाग-II अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र.सं.	विवरण	अभ्यर्थी/उम्मेद के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपाप/प्राधिकृत व्यय (रुपये में)	राजकीयिक दल द्वारा उपाप/प्राधिकृत व्यय (रुपये में)	अन्य व्यय उपाप/प्राधिकृत व्यय (रुपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (रुपये में) (4) पं (3), का जोड़
1	2	3	4	5	6
I	जन सभाएं, शैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय I क : जन सभा, शैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात्: राजनीतिक दल के स्टाफ प्रचारकों) पर होने वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-1 के अनुसार संलग्न करें) II ख : स्टाफ प्रचारक (को) के साथ जन सभा, शैली जुलूस इत्यादि पर किया गया व्यय (अर्थात्: साधारण पार्टी प्रचार वाले व्यय को छोड़कर) (अनुसूची-2 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
II	क्रम संख्या-ख में उल्लिखित जन सभाओं, शैलियों जुलूस इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुसूची-3 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
III	(क) केबल नोटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित निजी स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संलग्न करें) (ख) केबल नोटवर्क, बल्क एसएमएस या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित अभ्यर्थी के स्वामित्व या अभ्यर्थी को प्रायोजित करने वाले राजनीतिक दल के स्वामित्व वाले समाचार पत्रों/टी.वी./रेडियो चैनल आदि में प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची-4 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
IV	अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची-5 के अनुसार संलग्न करें)	11100	0	0	11100
V	प्रचार कर्मचारियों/अभिकर्ताओं के व्यय (अनुसूची-6 के अनुसार संलग्न करें) नामांकित राजकीयिक दल द्वारा	30000 10,000	0	0	30000 10,000
VI	अन्य कोई प्रचार व्यय	0	0	0	0
VII	आंतराधिक मामलों के सम्बन्ध में घोषणा के प्रकाशन पर उपचार व्यय (अनुसूची-10 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
VIII	VIII वर्ग अल प्रचार-अभियान पर होने वाला व्यय (अनुसूची-11 के अनुसार संलग्न करें)	0	0	0	0
	कुल योग	24100	0	0	24100

(300)


भाग-III अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त की गई निधियों के स्रोत का सार

क्र.सं.	विवरण	वधि (रुपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची-7 के अनुसार संलग्न करें)	24100-00
II	पार्टी (पार्टियों) से नकदी या चेक इत्यादि के माध्यम से प्राप्त (एकमुश्त राशि) (अनुसूची-8 के अनुसार संलग्न करें)	0-
III	दिसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/अधिकृत निकायों इत्यादि से प्राप्त, उक्त नकद इत्यादि के माध्यम से प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची-9 के अनुसार संलग्न करें)	0-
	कुल योग	24100-00

(301)



भाग-IV
शपथ-पत्र का प्रारूप



जिला निर्वाचन अधिकारी सहस्रपुर (जिला, राज्य/संघ/राज्य क्षेत्र) के समक्ष

श्री/श्रीमती/सुश्री राजेश कुमार शर्मा सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्यामलाल शर्मा का शपथ पत्र

में राजेश कुमार शर्मा सुपुत्र/पत्नी/पुत्री श्यामलाल शर्मा आयु 37 वर्ष निवासी डीग कुंभी डे गांव नगर एतद्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न घोषणा करता/करती हूँ:-

- (1) यह कि मैं, शर्मा (871) संसदीय/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा क्षेत्र की लोक सभा/विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाला/वाली अभ्यर्थी था/थी जिसका परिणाम 03.12.23 को घोषित किया गया था।
- (2) यह कि उपर्युक्त निर्वाचन के संबंध में दिनांक 06.11.23 (वह तारीख जब मुझे नामांकित किया गया था) एवं उसके परिणाम की घोषणा की तारीख, दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए, के बीच मैंने/मेरे निर्वाचन अधिकर्ता ने मेरे एवं मेरे निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखा है।
- (3) यह कि उक्त लेखा, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए दिए गए रजिस्टर में अनुरक्षित किया गया था एवं उक्त रजिस्टर इस लेखा में उल्लिखित अनुसमर्थक वाउचर/बिल के साथ संलग्न है।
- (4) यह कि निर्वाचन के संबंध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यय के लेखे में मेरे या मेरे निर्वाचन अधिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाला राजनैतिक दल, अन्य एसोसिएशन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत निर्वाचन व्यय की सभी मदें इसमें शामिल हैं एवं उनमें (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 (1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसके अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के संबंध में किए गए व्यय को छोड़कर) कुछ भी छिपाया अथवा रोका/दबाया नहीं गया है।
- (5) यह कि निर्वाचन के संबंध में उक्त लेखा के अनुलग्नक-11 में संलग्न निर्वाचन व्ययों के सार विवरण में मेरे/मेरे निर्वाचन अधिकर्ता, मुझे प्रायोजित करने वाले राजनैतिक दल/अन्य एसोसिएशन/मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकायों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राधिकृत व्यय भी शामिल हैं।
- (6) यह कि पूर्व पैरा (1) से (5) तक में दिए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है, और इनमें कुछ भी गलत नहीं है एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

मेरे समक्ष 202..... के इस 13/12/2023 दिन में द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ ली गई।

(साक्ष्यांकन प्राधिकारी, अर्थात् प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा शपथ आयुक्त या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर तथा मुहर)

रामेश्वर सिंह स्टाम्प वेण्डर तहसील नगर

ला. 15/2021

रजि. सं. 1590 दिनांक 12-12-23

नाम राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्यामलाल शर्मा

जाति ब्राह्मण निवासी डीग

तह. नगर जिला डीग वास्ते शहस्रपुर

द. केता ह. विक्रेता RS (302)

..... के द्वारा

..... द्वारा

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ATTESTED

Notary Public
Sahasrabad, District Sahasrabad, Uttar Pradesh